



कार्यालय पुलिस उपायुक्त अपराध, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

दिनांक-24.01.2025

प्रेस नोट

बी.एच.यू. वाणिज्य संकाय में साइबर सिक्योरिटी पर कार्यशाला

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के साइबर जागरूकता पर दिये गये आदेशों निर्देशों के मद्देनजर तथा श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा दिये गये आदेश के क्रम में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी के वाणिज्य संकाय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में "साइबर सुरक्षा जागरूकता" कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 200 से अधिक छात्र व छात्राओं तथा वाणिज्य संकाय प्रमुख प्रो. एच. के. सिंह , प्रो धनंजय साहू, प्रो फतेह बहादुर सिंह, डॉ मीनाक्षी सिंह, डॉ वंदना सोनकर, डॉ शशि यादव, डॉ विकास जयसवाल, डॉ विनीता सिंह, डॉ पल्लवी, डॉ शान्तनु सौरभ, श्री दशरथ कुमार सोनकर सहित वाणिज्य संकाय के सभी अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा उपरोक्त कार्यशाला में प्रतिभाग किया गया।

कार्यशाला में साइबर क्राइम पुलिस थाना वाराणसी के प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव कुमार सिंह, ए.एस.आई. श्री श्याम लाल गुप्ता , का. पृथ्वी राज सिंह द्वारा साइबर क्राइम होने के तरीक व बचाव के विभिन्न बिन्दुओं पर व्याख्यान दिया गया जिसके मुख्य बिन्दु इस प्रकार है –

1. Social Media Account के User Id एवं Password किसी से Share न करें और Strong Password बनायें।
2. Social Media Platform पर अपनी Personal Information व Photos Post करने में सावधानी बरते।
3. Social Media Account की Security के लिए 2-Step Verification का प्रयोग करें।
4. अपना Bank Account, Credit/Debit Card Number, Internet Banking Password मोबाइल में Save न रखें।
5. Internet Banking, Social Networking Sites का प्रयोग करने के बाद Logout करना न भूलें।
6. Secure & Authentic Online Shopping Website/Apps से ही shopping करें।

7. Debit/Credit Card से सम्बंधित कोई भी Information Share न करें।

8. Customer Care से संपर्क करने हेतु Authentic Website पर जाकर ही Contact Number Search करें।

9. OLX Site आदि पर विज्ञापन की सही जानकारी प्राप्त करें व बेचने वाले व्यक्ति (Army/Air force/BSF etc. Force के कर्मचारी बनकर Fake ID WhatsApp पर भेजते हैं इनके बहकावे में न आएं) की सही पहचान करते हुए ही Cash on delivery के विकल्प का प्रयोग करें।

वर्तमान समय में ट्रेडिंग साइबर अपराध में एक---- वाट्सअप वीडियो कालिंग के माध्यम या नार्मल काल के माध्यम से डराकर साइबर ठगी करना है---जो इस प्रकार है -

तरीका-----

इस प्रकार के केश में साइबर अपराधियों द्वारा +921234556664 से वाट्सअप वीडियो काल या आडियो काल पुलिस की वर्दी पहनकर किया जाता है। कभी – कभी साइबर अपराधियों द्वारा वर्चुवल मो0न0 +91133565466 से भी काल करते हैं।

साइबर अपराधियों द्वारा ज्यादातर पढ़ने वाले बच्चों लड़के / लड़कियों जो घर से दूर किराये पर मकान लेकर पढ़ाई करते हैं या प्राइवेट जाँब करते हैं।

परिजनो को काल करके कहते हैं कि आपका बच्चा इस समय कहाँ है, जैसे ही परिजनो द्वारा जवाब दिया जाता है कि बाहर दिल्ली या मुम्बई रहता है , फिर साइबर अपराधियों द्वारा कहाँ जाता है कि आपका बच्चा गलत लड़को के साथ पकड़ा गया है उनमें से कुछ लोग जेल गये हैं, या कहते हैं कि आपके बच्चे के बैग में ड्रग्स पकड़ा गया है या आपकी लड़की सेक्स रैकेट वाली लड़कियों के साथ पकड़ी गयी है।

उनको छोड़ने के लिए चाय पानी के नाम पर कुछ पैसा लेकर छोड़ने के लिए कहाँ जाता है।

जब परिजन द्वारा यह कहाँ जाता है कि आप मेरे बच्चे से बात कराइये तो साइबर अपराधियों द्वारा अपने ही लोगो से रोकर बात करने के लिये पहले से ट्रेड तरिके से करने के लिए कहा जाता है। ताकी आप अपने बच्चों की अवाज को न पहचान सके।

साइबर अपराधियों द्वारा छोटा अमाउन्ट का पैसा मांग कर शुरूवात करते हैं। एक बार पैसा देने पर साइबर अपराधियों द्वारा बार-बार पैसो की मांग की जाती है। एक समय ऐसा आता है कि कई लोग अपना बड़ा अमाउन्ट दे देते हैं।

साइबर अपराधियों द्वारा फर्जी खोले गये खातों में पैसा प्राप्त किया जाता है। तथा वर्चुवल मो0न0 का प्रयोग किया जाता है।

बचाव -

इस प्रकार का काल प्राप्त होने पर , सबसे पहले अपने बच्चो के पर्सनल मो0न0 पर काल करना चाहिये।

यदि किसी कारण काल कनेक्ट नहीं होने पर तुरन्त अपने पास के पुलिस स्टेशन पर सम्पर्क कर ,अपने साथ हुयी घटना से अवगत कराये।

साइबर अपराधियो द्वारा पैसो की मांग की जाने पर किसी भी दशा में पैसा न दे। चाहे वे लोग भले ही थोड़ा पैसा मांगा जाय।

यदि फिर भी आपको कुछ अनहोनी होने की आशंका रहती है तो पास के पुलिस स्टेशन से साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन का मो0न0 प्राप्त कर सम्पर्क करें।

यदि आपके साथ इस प्रकार की घटना हो जाती है तो आप तुरन्त 1930 पर कर घटना क्रम को अवगत कराये। या 24 घण्टा बित जाने उपरान्त साइबर क्राइम के पोर्टल पर <https://cybercrime.gov.in/> अपना शिकायत दर्ज है।

साइबर अपराध से बचाव के साथ-साथ साइबर अपराध होने पर कैसे शिकायत करें, के बारे में बताया कि घटना होने के तुरन्त बाद 1930 या 112 पर तत्काल काल कर अपनी शिकायत दर्ज कराये। या भारत सरकार के साइबर क्राइम पोर्टल के माध्यम से जिसका URL- <https://cybercrime.gov.in/> पर शिकायत करें या यू.पी. पुलिस का **UPCOP APP** के माध्यम से **E- F.I.R** करें या जनसुनवाई पोर्टल - <https://jansunwai.up.nic.in/> पर करें तथा मैनुअल रूप में नजदीकी थाने जाकर थाने पर स्थापित साइबर हेल्प डेस्क अथवा साइबर सेल/साइबर क्राइम थाना पर भी शिकायत कर सकते है।

साथ ही - , काशी हिन्दू विश्वविद्यालय विधि संकाय के डॉ. मयंक प्रताप, विशिष्ट अतिथि एस.एम.एस. के डॉ. आनंद प्रकाश दूबे द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट 2000 व 2008 पर विस्तारपूर्वक बताया गया ।

इस अवसर पर बी.एच.यू. वाणिज्य संकाय के संचालन डॉ. ईसी मोहन ने किया। धन्यवाद यापन डॉ लाल बाबू जयसवाल ने किया।

प्रभारी निरीक्षक

साइबर क्राइम पुलिस थाना, कमिश्नरेट वाराणसी।